(6) कौशल विकास
SKILL ENRICHMENT OF PERSONS WITH DISABILITY

उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के कौशल को उनके बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं के अनुरुप विकसित करना/विकलांग व्यक्तियों के शीघ्र पुर्नवास हेतू सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों का नेटवर्क तैयार करना/वित्तीय संस्थानों की सहायता से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप स्व–रोजगार के अवसरों की अभिवृद्धि करना और विकलांग व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन करना।

पात्रता ऐसे विकलांग व्यक्ति जोकि जिला स्तरीय बोर्ड द्वारा यथा प्रमाणित हो व हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो, प्रशिक्षण के आरम्भ की तिथि को 18 से 45 की आयु का हो, तथा जिनके संरक्षक की वार्षिक आय 1,00,000/–रु0 से कम हो।

सहायता अभ्यर्थियों को तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित, चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था। विभाग द्वारा यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और 1000 रु0 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृति भी दी जाती है। प्रशिक्षण उपरान्त लघु उद्योग प्रारम्भ करने हेतू न्यूनतम ब्याज दरों पर अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/जिला उद्योग केन्द्र/हि0प्र0 खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड/केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जिला अभिकरण के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं।

प्रकिया अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशित होने के तीस दिन भीतर आवेदन करना होगा।